

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4148/2018

1. Lalchand Yadav Son of Late Gokul Chand, Aged 46 Yrs,
 2. Saroj Wife of Lalchand Yadav, Aged 44 Years,
 3. Lokesh Son of Lalchand Yadav, Aged 24 Years
- All Resident of Jatiya Hills, Danta Nagar, Ajmer.

----Claimant Appellants

Versus

1. Arjun Singh Son of Shree Gopal Singh, Aged 25 Years, Resident of Rajputon Ka Mohalla, Narsingh Basni, Ladpura, Police Station Thanwla, District Nagaur (Driver Pickup No. RJ-21-GB-5747)
2. Babu Lal Son of Bajrang Das, Resident of 96, Sani Bass, Tehla, Tehsil Degana, District Nagaur. (Owner Pickup No. RJ-21-GB-5747)
3. Tata AIG General Insurance Company Limited, Divisional Office At Lotus Tower, Community Centre, New Freint Colony, New Delhi Also At 205-208, 2nd Floor, Green Park, Ashok Marg C-Scheme, Jaipur Through Its Divisional Manager. (Insurer Pickup No. RJ-21-GB-5747)

----Non-Claimant Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Vinay Mathur, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Rajani Vyas, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

10/12/2025

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज.) (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-291/2016, लालचंद यादव व अन्य बनाम अर्जुनसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2018 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन दुर्घटना में लक्ष्मणसिंह उर्फ शेखर यादव की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल

96,43,900 /— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण के पक्ष में **कुल 16,77,040 /— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते हुए उक्त राशि में से **ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट** के तहत याचीगण को प्राप्त राशि **8,00,000 /— रुपये** की कटौती करते हुए **कुल 8,77,040 /— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण की ओर से निर्धारित की गयी सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि दिलवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में कुल 16,77,040 /— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गयी तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि में से 8,00,000 /— रुपये की राशि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट के तहत प्राप्त हुई राशि बाबत कटौती की जाकर कुल 8,77,040 /— रुपये की राशि ही अपीलार्थीगण को दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि अन्य कहीं से भी यदि कोई राशि बीमा स्वरूप प्राप्त होती है तो उक्त राशि को क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किय गये :-

- **Sebastiani Lakra & Ors. Vs. National Insurance Company Ltd. & Anr.** reported in **2019 (17) SCC 465 &**
- **New India Assurance Co. Ltd. Vs. Smt. Sunita Sharma & Ors.** reported in **[2025] 4 SCR 603.**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 11.02.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को एफ.डी.सी. लिमिटेड कम्पनी में कार्यरत होकर 11,000/- रुपये आय अर्जित करना बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा मृतक का एफ.डी.सी. लिमिटेड कम्पनी का नियुक्ति पत्र प्रदर्श-15 व वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-16 विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त आधारों पर विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श-16 पर विश्वास करते हुए वक्त घटना मृतक की आय 9,920/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर उक्त निर्धारित मासिक आय पर **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की 22 वर्ष, 07 माह, 14 दिन की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 9,920/- रुपये पर 50 प्रतिशत अर्थात् 4,960/- रुपये की भविष्य वृद्धि करते हुए मृतक की कुल शुद्ध मासिक आय 14,880/- रुपये के आधार पर मृतक की कुल वार्षिक आय 1,78,560/- रुपये निर्धारित करते हुए उक्त निर्धारित वार्षिक आय में से मृतक के अविवाहित होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग अर्थात् 89,280/- रुपये की कटौती की जाकर आश्रित आय की शेष राशि 89,280/- रुपये में मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक प्रयोग किया जाकर कुल 16,07,040/- रुपये की राशि आश्रित आय की क्षति के मद में अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपीलार्थीगण द्वारा मृतक की आय के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गयी है। अपीलार्थीगण द्वारा केवलमात्र विद्वान अधिकरण निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 8,00,000/- रुपये की राशि कटौती किये जाने के संबंध में तथा कंसोर्टियम की मद में व अन्य मदों में कम राशि दिलवाये जाने के संबंध में आपत्ति ली गयी है।

7. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 40,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य**

रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी किये जाने का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के पिता व माता, अपीलार्थी संख्या-1 व 2 को तथा मृतक का भाई अपीलार्थी संख्या-3 को "फिलियल सोर्टियम" की मद में प्रत्येक को 48,000/- रुपये (कुल 1,44,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

8. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है। अतः अंतिम संस्कार की मद में तथा सम्पदा की हानि के मद में हम, प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर, प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 18,000-18,000/- रुपये (कुल 36,000/- रुपये) की राशि उक्त मदों में अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

9. जहां तक निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से 8,00,000/- रुपये की कटौती का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत

Sebastiani Lakra (supra) में यह मत व्यक्त किया है कि :-

"12. The law is well settled that deductions cannot be allowed from the amount of compensation either on account of insurance, or on account of pensionary benefits or gratuity or grant of employment to a kin of the deceased. The main reason is that all these amounts are earned by the deceased on account of contractual relations entered into by him with others. It cannot be said that these

amounts accrued to the dependants or the legal heirs of the deceased on account of his death in a motor vehicle accident. The claimants/dependants are entitled to "just compensation" under the Motor Vehicles Act as a result of the death of the deceased in a motor vehicle accident. Therefore, the natural corollary is that the advantage which accrues to the estate of the deceased or to his dependants as a result of some contract or act which the deceased performed in his lifetime cannot be said to be the outcome or result of the death of the deceased even though these amounts may go into the hands of the dependants only after his death.

13. As far as any amount paid under any insurance policy is concerned whatever is added to the estate of the deceased or his dependants is not because of the death of the deceased but because of the contract entered into between the deceased and the insurance company from where he took out the policy. The deceased paid premium on such life insurance and this amount would have accrued to the estate of the deceased either on maturity of the policy or on his death, whatever be the manner of his death. These amounts are paid because the deceased has wisely invested his savings. Similar would be the position in case of other investments like bank deposits, share, debentures, etc. The tortfeasor cannot take advantage of the foresight and wise financial investments made by the deceased."

10. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Sebastiani Lakra (supra)** में यह मत व्यक्त किया है कि यदि क्लेमेंट्स को अन्य कहीं से भी बीमा स्वरूप कोई राशि प्राप्त होती है तो उक्त बीमा स्वरूप प्राप्त राशि को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से कम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलार्थीगण को ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट के फलस्वरूप जो 8,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई है, उसे विद्वान अधिकरण द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि में से कम किया जाकर त्रुटि कारित की है। अतः इस

आदेश द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

11. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	16,07,040 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में (प्रत्येक अपीलार्थी को 48,000 /— रुपये)	कुल 1,44,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि		17,87,040 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि		8,77,040 /—
बढ़ोतरी पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		9,10,000 /—

12. तदनुसार दावाकर्ता/अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा दावाकर्ता/अपीलार्थीगण को **8,77,040 /— रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **17,87,040 /— रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

13. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्ता/अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

14. तदनुसार उपरोक्त अपील निस्तारित की जाती है।

15. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J